राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5482/2022

गुंजन गर्ग **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर (राज.)।
3. प्राचार्य, राजकीय कॉलेज, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर।
4. आर.सी. वर्मा, कॉलेज व्याख्याता संस्कृत, राजकीय कॉलेज नंदौती, जिला करौली (राज.) अपीलार्थी के स्थान पर स्थानान्तरणाधीन।
5. हरगोविन्द कटारिया, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी (शहर), गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.10.2022
आदेश की दिनांक : 25.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाण्डेय, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकॉर्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक आचार्य के पद पर राजकीय महाविद्यालय, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 27.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय महाविद्यालय, नंदौती, जिला करौली किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी के पति भी राजकीय सेवा में गंगापुर सिटी में कार्यरत हैं। राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति के अनुसार यदि पति–पत्नी दोनों राजकीय सेवा में कार्यरत हों तो उनका स्थानान्तरण/पदस्थापन एक ही स्थान अथवा निकटस्थ स्थान पर

किया जाना चाहिए। परंतु अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी एक महिला कार्मिक है, फिर भी उसका स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से 50 कि.मी. दूर कर दिया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को उसके स्थान पर समंजित करने के आशय से किया गया है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजनैतिक प्रभाव में आकर किया गया है, जो नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 27.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सहायक आचार्य के पद पर राजकीय महाविद्यालय, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं छात्रहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

> *"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."*

अपीलार्थी ने अपील में स्वयं का 50 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

जहां तक राजनैतिक प्रभाव में आकर स्थानान्तरण किए जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में अनुलग्नक–3 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है ना कि किसी सक्षम अधिकारी को और ना ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण किसी नेता के शिकायत के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण किया गया है, ऐसा भी साक्ष्य दस्तावेज अपीलार्थी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में हम कोई बल होना नहीं पाते हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)